



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—४. खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, २७ जून, २०१२

आषाढ़ ई. १९३४ शक समवत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण अनुभाग

संख्या ९२१/५५-पर्या./१२-९४(पर्या)-११

लखनऊ, २७ जून, २०१२

अधिसूचना

सा०प०नि०-२०

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (अधिनियम संख्या १४, सन् १९८१) की धारा २१ की उप धारा (१) और उक्त धारा की उप धारा २ के खण्ड (य) के साथ पठित धारा ५४ की उप धारा (१) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में नये ईट भट्ठों की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, २०१२

१-(१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ नियमावली, २०१२ कही जाएगी।

(२) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

२-उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, १९८५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १८, सन् १९८५) के उपबन्धों के अधीन ऐसा कोई ईट भट्ठा स्थापित नहीं किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है:-

(एक) कोई ईट भट्ठा किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के क्षेत्र से ५.० किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त निर्बन्धनों के अध्यधीन आवासीय क्षेत्र से कम से कम ५०० मीटर दूर स्थापित किया जायेगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या १००-१५० व्यक्तियों का हो अथवा २० कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से १.०० किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या १५० व्यक्तियों अथवा २० घरों से अधिक, चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।

आवासीय  
क्षेत्र/जनसंख्या/  
संवेदनशील  
क्षेत्र/आम अथवा  
फलदार बागों से दूरी

(दो) कोई ईट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल सार्वजनिक इनारत, धार्मिक स्थानों अथवा किसी ऐसे स्थान जहाँ ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण किया जाता है, से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई ईट भट्ठा प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक इमारतें, म्यूजियम और इनके सादृश्य अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में 5.0 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

परन्तु ताज ट्रेपेजियम जोन (टी०टी०जेड०) क्षेत्र के मामले में समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश / मार्गदर्शन लागू होंगे—

(तीन) कोई ईट भट्ठा रेलवे ट्रैक के किनारों से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(चार) कोई ईट भट्ठा राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्ग के दोनों किनारों से 300 मीटर दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(पाँच) कोई ईट भट्ठा किसी मुख्य जिला सड़क/लोक निर्माण विभाग सड़कों के दोनों किनारों से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(छ) कोई ईट भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईट भट्ठा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(सात) किसी अधिसूचित फलपट्टी क्षेत्र के बफेर जोन में कोई भट्ठा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, जैसा कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 में परिभाषित है, और संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है या वाद दर वाद, यदि कोई में न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया हो।

आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हो) संयुक्त नर्सरी के किनारे से ईट भट्ठा से दूरियां प्रत्येक दशा में 800 मीटर से कम नहीं होगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड़ से कम न हो, से निरपेक्ष रूप से लागू होगी।

दूरी का मापन ईट भट्ठा की चिमनी से लेकर भट्ठा की ओर पढ़ने वाली आम/फलदार बगीचे के वृक्षों की प्रथम/निकटतम पंक्ति तक किया जायेगा।

3—ईट भट्ठा की फुकाई के सम्बन्ध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुमति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्ठा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गयी हो।

4—भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम०ओ०ईएफ) द्वारा ईट भट्ठों के लिये यथा अधिसूचित उत्तर्जन-मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊंचाई सम्मिलित है, ईट भट्ठे के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या जी एस० आर० 543 (ई) दिनांक 22 जुलाई, 2009 के अनुसूची I में क्रम संख्या 74 हारा अधिसूचित है, लागू होंगे।

5—इस नियमावली के अधीन स्थापित ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में निम्नलिखित सामग्रियां प्रयोग की जा सकेंगी:—

(क) स्थानीय कृषि औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कपास का डण्ठल, सरसों का डण्ठल आदि को कोयले के स्थान पर आन्तरिक ईंधन के रूप में;

(ख) गैर परिसंकटमय अपशिष्ट जैसे—पत्थर, धूल, चावल की भूसी की राख, रेड मड आदि को ऊपरी मिट्टी में मिलाया जा सकेगा।

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैसा लागू हो के अधीन जारी अधिसूचना के अनुपालन में ईंटों की पर्याई में फ्लाई एश:

परन्तु स्पेण्ट आर्गनिक, साल्वेट तैलीय अवशेष, पेट कोक, फिल्टर प्रेश केक (परिसंकटमय अपशिष्ट) इत्यादि और अन्य अपशिष्ट यथा प्लास्टिक रबड़, घमड़ा का ईट भट्ठा में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

ईट भट्ठा की स्थापना हेतु  
अनुमति

उत्तर्जन मानक

ईट भट्ठे में प्रयोग  
की जाने वाली  
सामग्रियां

6-(1) ईट भट्ठे की परिधि के किनारे, सामग्री और वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए चहारदीवारी में दो 10 मीटर की चौड़ी जगह छोड़ते हुए बहुसतही और बहुमंजिला 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का निर्माण किया जायेगा। तात्कालिक धूल उत्सर्जन रोकने के लिए 3 मीटर की ऊंचाई की एक दीवार का निर्माण किनारों पर किया जायेगा जहां हरित पेटी विकास के लिए भूमि उपलब्ध न हो। हरित पेटी विकास के साथ ईट भट्ठा लगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल 2.0 एकड़ है।

ईट भट्ठे  
स्वतंत्रारी के  
कर्तव्य

(2) तड़ित हमले के कारण भृट्ठे/चिमनी की क्षति को बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के मानकों अथवा किसी अन्य अभिकल्पना मानक के अनुसार तड़ित अवरोधक ईट भट्ठा के लिए स्थापित किया जायेगा।

(3) ईट भट्ठा में उपरोक्त के अतिरिक्त समुचित रख-रखाव प्रक्रिया जिसमें कोयले की राख का निस्तारण, भट्ठा के चारों ओर दोहरी दीवार, समुचित लेआउट, ईटों द्वारा मार्ग आच्छादन, उचित ग्रेड के कोयले का प्रयोग, समुचित फायरिंग प्रक्रिया, ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा तथा अन्य उपाय सम्मिलित हैं, ईट भट्ठे के स्वामियों द्वारा अपनायी जानी चाहिये।

(4) ईटों की पथाई के लिये एतदर्थ चिन्हित क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खड़ी कटाई न की जाय अपितु ढालदार रीति में 1:3 के अनुपात में की जानी चाहिये जिससे कि कृषि भूमि का क्षरण न्यूनतम हो।

7-कोई व्यक्ति जो कि ईट भट्ठा का प्रचालन करना चाहता है, वह ईट भट्ठे के प्रचालन हेतु अनुमति के लिये उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1983 और उत्तर प्रदेश जल (मूल और व्यवसायिक बहिःसाव निस्तारण के लिए सहमति) नियमावली, 1981 के अधीन जिला प्रशासन से खनन पट्टा, जिला पंचायत/जिला परिषद से फुंकाई की अनुमति और उद्यान विभाग से, यथास्थिति, अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञाप्ति प्रस्तुत करते हुए निर्धारित फीस के साथ राज्य बोर्ड को अलग से आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर राज्य बोर्ड उपर्युक्त नियमावलियों के अधीन यथा विहित आवश्यक जांच के उपरान्त ऐसी अनुमति को अस्वीकृत कर सकता है।

ईट भट्ठा की  
प्रचालन हेतु  
अनुमति

परन्तु यह कि, कोई ईट भट्ठा, जो पूर्व में स्थापित/प्रचालन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और उसके पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमान्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा जिनके अध्यधीन अनुमति प्रदान की गई थी।

आज्ञा से,  
राजेश कुमार सिंह,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 921/55-पर्या/12-94 (पर्या)-11, dated June 27, 2012:

No. 921/55-पर्या/12-94 (पर्या)-2011  
Dated Lucknow, June 27, 2012

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 54 read with clause (z) of sub-section (2) of the said section and sub-section (1) of section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution)